सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 11, मंगलवार, शाके 1943-नवम्बर 02, 2021

Kartika 11, Tuesday , Saka 1943- November 02, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 2, 2021

जी.एस.आर.282 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/ जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 14-06-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः -

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 14, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उपधारा(2)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफ.डी./ जी.एफ.एण्डए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 1 के स्तंभ 2 के खण्ड (क) के सामने स्तंभ 3 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-

"

केन्द्रीय विश्वविद्यालय,यू.जी.सी. अधिनियम,1956 की धारा 2च के अधीन उसके द्वारा प्रत्यायित राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, उनके घटक महाविद्यालयों या उनसे संबद्ध सरकारी महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलजी (एन.आई.टी.) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (आई.आई.टी), इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई.आई.एम.), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (रा.वि.वि.) जोधपुर,राजस्थान नालेज कारपोरेशन लि. (आर.के.सी.एल.)

"

[**सं.एफ2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]**

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 24, सोमवार, *शाके* 1943–जून 14, 2021 *Jyaistha 24, Monday, Saka 1943- June 14, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, June 14, 2021

G.S.R.282 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central Government or the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government or the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing bids individually hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification, in column 3, against clause (a) of column 2 of serial number 1, the existing entries shall be substituted by the following, namely:-

"

Central University, University established by Govt. of Rajasthan accredited by U.G.C. Act, 1956 u/s 2F including their constituent colleges or their affiliated Government Colleges, National Institute of Technology (NIT's), Indian Institute of Technology (IIT's), Indian Institute of Management (IIM's), National Law University (NLU) Jodhpur, Rajasthan Knowledge Corporation Ltd. (RKCL)

"

[No. F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017]
By Order of the Governor,
Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।